

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा उन्नाव

UPUN120031092025



परिवाद सं०—1874/2025

अशोक कुमार बनाम विभा देवी आदि

थाना—बिहार, जिला उन्नाव।

दि०—27.07.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादी गैर हाजिर।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि परिवादी विगत अनेक तिथियों से गैर हाजिर है। पत्रावली वास्ते बयान 223 BNSS नियत है। विगत कई तिथियों से परिवादी वास्ते बयान न्यायालय उपस्थित नहीं हो रहा है। तदनुसार उक्त परिवाद धारा 226 BNSS के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो

।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुरवा, उन्नाव।